184

संख्या– ✓ /XVIII-(2)/2016-15(17)/2015

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1, **देहरादून :दिनांक 15 नवम्बर, 2016**

विषयः– श्री केदारनाथ धाम में 50 फीट से बाहर अवस्थित भवन स्वामियों द्वारा सहमति के आधार पर भवन/भूमि राज्य सरकार के पक्ष में निहित किये जाने एवं मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया वर्ष 2013 में जून माह में घटित प्राकृतिक आपदा से पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त श्री केदारपुरी मन्दिर क्षेत्र में अवस्थित भवन, लॉज स्वामियों/तीर्थ–पुरोहितों के भवन आदि को पुनर्वासित किये जाने तथा श्री केदारपुरी में प्राकृतिक आपदा के पश्चात् जीर्ण–शीर्ण अवस्था में खड़े निजी भवनों के ध्वस्तीकरण तथा उनकों पुनर्वासित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः–919/XXVII-(2)/2015–15(17)/2015 दिनांक 06.04.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 7189/13–15/(2014–15) दिनांक 17.08.2016 के माध्यम से श्री केदारनाथ धाम में 50 फीट से बाहर अवस्थित भवन स्वामियों के पुनर्वास हेतु द्वितीय चरण में कुल 21 भूमि/भवन स्वामियों के पुनर्वास हेतु उपरोक्त शासनादेश दिनांक 06.04.2015 में निर्धारित प्रकिया में निम्नानुसार संशोधन किये जाने के लिए श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क– सम्बन्धित भवन स्वामी को उसके वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल (विधिक स्वामित्व +कब्जे वाली भूमि पर हुये निर्माण) के अनुरूप शासनादेश में उल्लिखित सर्किल रेट के आधार पर इस शर्त के साथ मुआवजा देय होगा कि सम्बन्धित भूमि राज्य सरकार के पक्ष में राजसात(निहित) हो जायेगी।

ख– यदि उपरोक्त प्रकिया से भवन स्वामी सहमत न हो तो ऐसे भवन के ध्वस्तीकरण उपरान्त सम्बन्धित भवन स्वामी को उसी भू–खण्ड अथवा अन्यत्र सुरक्षित भू–खण्ड पर राज्य सरकार द्वारा यथासम्भव उसके वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल के अनुरूप नवनिर्माण करके दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में कोई मुआवजा की धनराशि देय नहीं होगी।

3 उपरोक्त पुनर्वास प्रकिया के अंतर्गत आच्छादित ऐसे भूमि/भवन स्वामी जिन्हें मुआवजा धनराशि देय है, का वहन मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जायेगा।

4 उपरोक्त पुनर्वास प्रकिया के अन्तर्गत आच्छादित ऐसे भूमि/भवन स्वामी जिन्हें अन्यत्र स्थान पर निर्मित सम्पत्ति दी जानी है, के सम्बन्ध में विशेष योजनागत सहायता पुर्ननिर्माण (एस0पी0ए0–आर) के अंतर्गत प्रचलित योजना तीर्थ–पुरोहित आवास निर्माण मद में उपलब्ध धनराशि के अनुरूप लाभान्वित किया जायेगा तथा अन्यत्र निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों/प्राधिकारियों का नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

5 पुनर्वास प्रकिया में ऐसे भूमि/भवन स्वामियों जिन्हें अन्यत्र स्थान पर निर्मित सम्पत्ति दी जानी है, के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि क्षतिग्रस्त संपत्ति पर विधिक स्वामित्व होने पर जेड0ए0 भूमि पर विधिक स्वामित्व (संक्रमणीय) अधिकार दिया जा सकता है किन्तु नॉन जेड0ए0 भूमि पर संक्रमणीय अधिकार नहीं होगा व वह पट्टे पर ही दी जाएगी। जिन क्षतिग्रस्त सम्पत्ति धारकों का अपनी संपत्ति पर विधिक अधिकार नही है, उन्हें पुनर्वास प्रकिया में भूमि के अधिकार दिया जाना विधि सम्मत नहीं है।

6 शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् यह भी निर्णय लिया गया कि गतिमान पुनर्वास प्रकिया के द्वितीय चरण के उपरान्त इस योजना को समाप्त घोषित किया जाता है।

7 श्री केदारनाथ धाम में उपरोक्त पुनर्वास प्रकिया एक अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितयों में स्थान विशेष के लिए लिया गया निर्णय है। अतः भविष्य में अन्य प्रकरणों में इसका कोई दृष्टांत नहीं लिया जाएगा।

8 श्री केदारनाथ धाम में अवस्थित भवन, लॉज स्वामियों/तीर्थ पुरोहितों के पुनर्वास एवं मुआवजा धनराशि वितरित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रकिया विषयक् शासनादेश संख्याः 919/XXVII-(2)/2015–15(17)/2015 दिनांक 06.04.2015 को तद्नुसार यथासंशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत् लागू रहेगी। कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–2333 (1) /XVIII-(2)/2016-15(17)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रभारी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
5– राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव